

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9660/2024

मैसर्स एम.ओ. इंडस्ट्रीज, जगनेर रोड, रूपवास, भरतपुर, राजस्थान,
321404, अपने भागीदार श्री हेमंत कुमार गोयल, पुत्र ओमप्रकाश, आयु
लगभग 48 वर्ष, निवासी 502, टेलीपाड़ा, रूपवास, भरतपुर, राजस्थान,
321404 के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, जयपुर जोन,
एनसीआरबी, स्टैच्यू सर्कल, जयपुर-302005 के माध्यम से।
- संयुक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीजीएसटी,
एनसीआरबी, स्टैच्यू सर्कल, जयपुर-302005।
- सहायक आयुक्त, सीजीएसटी डिवीजन-एफ, घाना गेट के सामने,
जवाहर नगर, भरतपुर-321001।
- राजस्थान राज्य, मुख्य आयुक्त, कर भवन, अंबेडकर सर्कल, जयपुर-
302004 के माध्यम से।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री रवि गुप्ता, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए : श्री अजय शुक्ला, अधिवक्ता,
श्री राघव शर्मा, अधिवक्ता और
श्री संदीप तनेजा, एएजी के साथ,

सुश्री किंजल सुराणा, एजीसी के

साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

08/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका दिनांक 02.04.2024 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली गई थी।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सरसों के तेल, ताड़ के तेल और सरसों के तेल-रहित केक के निर्माण में लगा हुआ है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.07.2021 को 19,62,616/- रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया, जो इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के कारण जमा हुआ था। वापसी मार्च, 2021 से शुरू होने वाली अवधि के लिए थी। वापसी 05.08.2021 को स्वीकृत की गई थी। विभाग द्वारा दायर अपील में, परिपत्र संख्या 135/15/2020-जीएसटी दिनांक 31.03.2020 पर भरोसा करते हुए वापसी आदेश को रद्द कर दिया गया था।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जिस परिपत्र पर भरोसा किया गया था, उसे इस न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5714/2021 (बेकर ह्यूजेस एशिया पैसिफिक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य) में

30.06.2022 को दिए गए निर्णय में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 54(3)(ii) के साथ असंगत और संघर्ष में पाया गया था। उनका तर्क है कि अपीलीय प्राधिकारी ने निर्णय के निष्कर्ष वाले पैराग्राफ के केवल एक हिस्से को पुनः प्रस्तुत किया है और विभाग की अपील को स्वीकार कर लिया है।

4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया और कहा कि यदि परिपत्र लागू नहीं भी होता है तो भी याचिकाकर्ता वापसी का हकदार नहीं है।

5. आगे बढ़ने से पहले, बेकर ह्यूजेस एशिया पैसिफिक लिमिटेड (**supra**) के निष्कर्ष वाले हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

"14. यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हम इस दृढ़ राय के हैं कि दिनांक 31.03.2020 का परिपत्र, एक अधीनस्थ कानून होने के कारण, मूल कानून यानी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(3)(ii) के साथ असंगत और संघर्ष में है और इसलिए, इसे याचिकाकर्ता द्वारा दायर संचित आईटीसी वापसी के वैध दावे को बाहर करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आईटीसी की वापसी का दावा दिनांक 31.03.2020 के परिपत्र जारी होने से पहले की अवधि के लिए था। नतीजतन, दिनांक 31.03.2020 के परिपत्र के पैरा 3 के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 3, उप आयुक्त, राज्य कर, सर्किल बाड़मेर द्वारा संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार

करना, रिकॉर्ड के चेहरे पर अमान्य है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

15. इस प्रकार, दिनांक 05.01.2021 के आदेश को यहां रद्द और अलग रखा जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी पात्रता के अनुसार याचिकाकर्ता को संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट तुरंत वापस कर दें।

16. रिट याचिका को इन शर्तों पर स्वीकार किया जाता है।"

6. इस न्यायालय की खंडपीठ ने परिपत्र संख्या 135/15/2020-जीएसटी की चुनौती से निपटते हुए इसे अधिनियम की धारा 54(3)(ii) के साथ संघर्ष में पाया। यह भी माना गया कि आईटीसी की वापसी का दावा परिपत्र जारी होने की तारीख से पहले का था।

7. दिया गया अतिरिक्त कारण इस तथ्य को अमान्य नहीं करेगा कि परिपत्र न्यायिक जांच में सफल नहीं हुआ था। अपीलीय प्राधिकारी ने केवल परिपत्र संख्या 135/15/2020-जीएसटी पर भरोसा करते हुए अपील को स्वीकार किया है। नतीजतन, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। मामले को अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि वह कानून के अनुसार नए सिरे से अपील पर निर्णय ले सके।

8. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

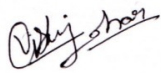
(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

मदन/मोनिका/20

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़